

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-02/2026 श्र0सं0-

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,  
उप श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/मधुबनी/नवादा/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/  
सिवान/सहरसा/सारण (छपरा)/सीतामढ़ी एवं लखीसराय।  
श्रम अधीक्षक, गोपालगंज/लखीसराय एवं पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक-

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष -0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) एवं एवं मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष -01-श्रम-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष -0102-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

3(क). मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :

क्र0 सं0	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	11	55000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर का पत्रांक-771 दिनांक-06.04.2026, एवं पत्रांक-858 दिनांक -17.04.2026के आलोक में।
2	37.01	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	10	50000	श्रम अधीक्षक, मधुबनी का पत्रांक-768 दिनांक-13.04.2026, एवं पत्रांक-817 दिनांक- 04.05.2026 के आलोक में।
3	37.01	नवादा	जिला पदाधिकारी, नवादा	04	20000	श्रम अधीक्षक, नवादा का पत्रांक-397 दिनांक-11.04.2026 एवं पत्रांक-539 दिनांक- 07.05.2026 के आलोक में।
4	37.01	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	02	10000	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-952 दिनांक-13.04.2026 के आलोक में।

5	37.01	पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)	25	125000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी) का पत्रांक-502 दिनांक-01.04.2026, एवं पत्रांक-679 दिनांक-05.05.2026 के आलोक में।
6	37.01	सिवान	जिला पदाधिकारी, सिवान	07	35000	श्रम अधीक्षक, सिवान का पत्रांक-441 दिनांक-06.04.2026 के आलोक में।
7	37.01	सहरसा	जिला पदाधिकारी, सहरसा	12	60000	श्रम अधीक्षक अधिनियम, सहरसा का पत्रांक-385 दिनांक-19.03.2026 के आलोक में।
8	37.01	सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	03	15000	श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) का पत्रांक-823 दिनांक-17.04.2026 के आलोक में।
9	37.01	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	27	135000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी का पत्रांक-513 दिनांक-29.04.2026 के आलोक में।
10	37.01	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	01	5000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक-310 दिनांक-02.05.2026 के आलोक में।

3(ख). मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	11	30800	1100	1100	33000	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज पत्रांक-420 दिनांक-24.04.2026 के आलोक में।
2	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	06	16800	600	600	18000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय पत्रांक-315 दिनांक-04.05.2026 के आलोक में।
3	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण	08	22400	800	800	24000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण पत्रांक-680 दिनांक-05.05.2026 के आलोक में।

4(क). मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि(रु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	37.01	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	09	45000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर का पत्रांक-771 दिनांक-06.04.2026 एवं पत्रांक-858 दिनांक- 17.04.2026 के आलोक में।
2	37.01	मधुबनी	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	1	5000	श्रम अधीक्षक, मधुबनी का पत्रांक-768 दिनांक- 13.04.2026,
4	37.01	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	02	10000	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-952 दिनांक-13.04.2026 के आलोक में।
5	37.01	पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी)	12	60000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, (मोतिहारी) का पत्रांक-502 दिनांक-01.04.2026 एवं पत्रांक- 679 दिनांक-05.05.2026 के आलोक में।
6	37.01	सीतामढ़ी	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	11	55000	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी का पत्रांक-513 दिनांक-29.04.2026 के आलोक में।
7	37.01	लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	2	10000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक-310 दिनांक-02.05.2026 के आलोक में।

4(ख). मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम-मांग संख्या-26-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु :-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग (रु)	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियों (0104.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0104.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	22	61600	2200	2200	66000	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज पत्रांक-420 दिनांक-24.04.2026 के आलोक में।
2	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	03	8400	300	300	9000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय पत्रांक-315 दिनांक-04.05.2026 के आलोक में।
3	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण	03	8400	300	300	9000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण पत्रांक-680 दिनांक-05.05.2026 के आलोक में।

5. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0102-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रू 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	विमुक्त बाल श्रमिक की सं०	21-सामग्री और आपूर्ति			कुल योग	अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)
			विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0102.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष दवा भण्डार (0102.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से	विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0102.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	01	2800	100	100	3000	श्रम अधीक्षक, लखीसराय पत्रांक-315 दिनांक- 04.05.2026 के आलोक में।

6. अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
7. अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
8. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
9. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, बिहार, का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन  
ह०/-  
(मनीष कुमार)  
उप श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ1-02/2026 श्र0सं0- 2925 पटना, दिनांक- 25/5/26

प्रतिलिपि:— सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार,पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ वरीय प्रभारी प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष)/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ एवं आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन  
Signed by Manish Kumar  
Date: 25-05-2026 17:12:23  
(मनीष कुमार)  
उप श्रमायुक्त।